उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होम्योपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ-226018

मो0नं0 : 7607355882

ई–मेल–registrar@hmbup.in

पत्रांक : 1078 /एच0एम0बी0/720/2025 दिनांक 27.08.2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,
विकास इन्स्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी कालेज,
अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकर नगर।
(कालेज कोड- CL-1202)

विषय- भेषजिक डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम संचालन के शैक्षणिक सत्र 2025-27 (जिसमें की कोर्स वर्ष प्रथम वर्ष 2025-26 एवं द्वितीय वर्ष 2026-27) की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1670/ 96-आयुष-2-2022-14(एल0सी0)/ 2022, दिनांक 18.07.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड,लखनऊ के पत्रांक-1664/एच0एम0बी0/692/22, दिनांक 05.08.2022, पत्रांक-2210/ एच0एम0बी0/692/22, दिनांक 23.09.2022 एवं पत्रांक-2573/एच0एम0बी0/ 692/22, दिनांक 08.12.2022 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी कालेजों का भौतिक/स्थलीय निरीक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी स्तर से भौतिक सत्यापनोपरान्त प्राप्त करायी गयी आख्या के क्रम में जो कालेज वर्तमान में अस्तित्व में हैं व क्रियाशील हैं व निर्धारित मानक के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं में ही उ0प्र0 होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड कार्यालय के पत्रांक-2021/एच0एम0बी0/2022-23, दिनांक 19.12.2022, संशोधित पत्रांक-2621/एच0एम0बी0/2022-23, दिनांक 26.12.2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी । इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-25 में पाठ्यक्रम संचालन हेतु पूर्व मे प्राप्त स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट का स्थलीय प्रतिपरीक्षण कराए जाने हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को पत्र संख्या- 120/ एच.एम.बी./ 701/2023 दिनांक- 08.05.2023 के क्रम में सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों तथा वेबसाइट के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन के उपरान्त पाठ्यक्रम संचालन हेतु क्रियाशील एवं निर्धारित मानक के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध होने सम्बन्धी आख्या के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-25 में पाठ्यक्रम संचालित कराया जा रहा है एवं उक्त संस्थाओं में ही सत्र 2024-26 के पाठ्यक्रम संचालन की कार्यवाही की गयी है। उपरोक्तानुसार, सत्र 2023-25 एवं सत्र 2024-26 में पाठ्यक्रम संचालित कराए जा रहे संस्थाओं में ही सत्र 2025-27 का पाठ्यक्रम निर्धारित मानक के अनुसार अर्ह एवं क्रियाशील पायी गयी संस्थाओं में ही बोर्ड कार्यालय के पत्र दिनांक-11.04.2025, 30.06.2025 एवं 06.08.2025 के क्रम में सम्बन्धित जनपदों के जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की सत्यापन आख्या के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बन्धित भेषजिक डी0एच0पी0 कालेज (**कालेज कोड-CL-1202**) की सम्बन्धता सत्र 2025-27 के लिए (जिसमें की कोर्स वर्ष प्रथम वर्ष 2025-26 एवं द्वितीय वर्ष 2026-27) जारी की जाती है:-

1. डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम के मानक के अनुसार प्रशासनिक भवन, क्लासरूम, लैबरूम यूटीलिटी आदि की समुचित व्यवस्था कराया जाना अनिवार्य रहेगा ।
2. डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम के अनुसार लैब के उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
3. सम्बन्धित डी0एच0पी0 कालेज में छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक की बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य रहेगा।
4. बोर्ड की बेबसाइट www.hmbup.in पर कालेजों की प्रोफाइल, कार्यरत कर्मचारिओं की सूचना, कालेज की सांस्कृतिक, शैक्षणिक व अन्य गतिविधि से सम्बन्धित समस्त सूचना शैक्षणिक सत्र के संचालन के सम्बन्धित गतिविधियों यथा क्लास में उपस्थिति पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।

5. कालेज के द्वारा सन्दर्भित सत्र में छात्र/छात्राओं के पंजियन सहित समस्त कार्यवाही ऑनलाइन माध्यम से ही की जाए, मैनुअल रीति से किया गया पंजियन व अन्य कोई कार्यवाही वैध नही मानी जाएगी।

6. छात्र/छात्रा का पंजियन, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि का नियत फीस निर्धारण एवं शुल्क से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य रहेगा।

7. शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों को देय वेतन/मानदेय की सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल के माध्यम ये प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

8. बोर्ड या कोई भी सरकारी कर्मचारी जो इस प्रयोजन हेतु अधिकृत हो किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के कालेजों के पाठ्यक्रम संचालन तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का निरिक्षण कर सकता है इसमें कालेज प्रशासन को कोई आपत्ति नही होगी।

9. पठन-पाठन एवं अनुशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा बोर्ड द्वारा की जायेगी तथा किसी भी विसंगत की स्थिति में कालेज की सम्बन्धता/मान्यता समाप्त किये जाने पर विचार करने का अधिकार बोर्ड का होगा।

10. डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सत्र में पठन/पाठन एवं प्रशिक्षण का शैक्षणिक कैलेन्डर छात्र पंजीयन समाप्त होनें से पूर्व निर्गत कर दिया जाए व उसकी प्रति पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

11. डी0एच0पी0 कालेज द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने कैम्पस के प्लेसमेंट से सम्बन्धित गतिविधियों को पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

12. उपरोक्त लिखित समस्त शर्तें पूर्ण करते हुये इसको शपथ पत्र पूर्वक पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, उसके उपरान्त ही छात्र/छात्राओं का परीक्षा फार्म पंजीयन कराने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

13. कालेज में पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अभ्यर्थियों का चयन/प्रवेश उनके अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही संस्था द्वारा स्वयं की गयी है जिसकी गुणवत्ता/वैधता के लिये स्वयं संस्था ही जबाबदेह मानी जायेगी।

14. बोर्ड के स्तर से संस्था की सत्र विशेष में वैद्यता का ही प्रतिसत्यापन किया जा सकेगा। कोर्स वर्ष के अभ्यर्थियों की वैधता एवं उनके अभिलेखों में सत्यापन/प्रतिसत्यापन के लिये बोर्ड की जवाबदेही नही मानी जायेगी।

15. बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए आदेशों/निर्देशों का समयबद्ध रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त का अनुपालन न किए जाने पर स्वयं संस्था ही जवाबदेह मानी जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

27/08/2025

(विनय कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार

पत्रांक संख्या एवं दिनांक तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- नियंत्रक, उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

27/08/2025

(विनय कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार